आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा

स्टाम्प अपील वाद संख्या–98/2022

श्री वकील राय

बनाम्

राज्य सरकार व अन्य

उपस्थिति/प्रतिनिधित्व

वादी के तरफ से :–विद्वान अधिवक्ता, अशोक कुमार सिंह एवं रणंजय कुमार।

प्रतिवादी के तरफ से :–विद्वान सरकारी अधिवक्ता, सारण।

आदेश

WEB COPY NOT OFFICIAL

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
27.09.2024 01.11.2024	प्रस्तुत अपीलवाद सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा के वाद सं०–**31/2013** में दिनांक–**29.11.2014** को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। जिस आदेश से सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा ने अपीलकर्ता द्वारा दिनांक–**27.08.2013** को अवर निबधंक कार्यालय, मशरक में निबंधित दस्तावेज सं०–**3658**, मौजा–टोटहाँ जगतपुर, थाना सं०–**65**, खाता सं०–**59**, सर्वे–**476,477**, कुल रकबा–**36.818** डी0 में कमी मुद्रांक पाते हुए कमी मुद्रांक की राशि– **57,660/–** एवं उस पर जुर्माने की राशि–**5,766/–** अर्थात कुल–**63,426/–** जमा करने का आदेश दिया है। सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा के आदेश दिनांक–29.11.2014 के विरूद्ध अपीलकर्त्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में *CWJC No-4043/2019* दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–28.06.2022 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है ; "Accordingly, the present writ petition stands disposed of, however, with liberty to the petitioner to file appropriate appeal against the order dated-29.11.2014 passed in Stamp Case No-31 of 2013 and in case such an appeal is filed within a period of four weeks from today, the appellate authority shall decide the appeal of the petitioner on merit without being	

impeded by the issue of limitation"

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा धारा 47 A (4) के प्रावधान के अधीन इस न्यायालय में वाद दायर किया गया है।

उक्त के आलोक में वाद को अधिग्रहित करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख प्राप्त कर अपीलकर्त्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम् से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सविस्तार सुना। **Bihar Stamp & Court Fees Manual** की धारा **47 A (6)** के तहत् अपीलकर्त्ता से **deficit stamp amount** का **50%** जमा कराते हुए वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्त्ता के पक्ष में प्रश्नगत भूमि दिनांक–27.08.2013 को निबंधित केवाला सं०–3658 के माध्यम से मेघनाथ राउत, पिता कन्हाई राउत ने निष्पादित किया है। दस्तावेज सं०–3541 जिसके निबंधन की तिथि–20.08.2013 है, में निबंधित भूमि सड़क किनारे है, अतः आवासीय योग्य है, जिसके निबंधन में आवासीय श्रेणी के अनुरूप मुद्रांक चुकाया गया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनः बताया गया कि दिनांक–**20.08.2013** को निबंधित 10 धुर जमीन में **Stamp-duty** अधिक दिया है, परन्तु दिनांक–27.08.2013 को 9 कट्ठा 18 धुर सही मुद्रांक शुल्क (गैर आवासीय श्रेणी का) जमीन के प्रकृति के आधार पर दिया गया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे कहना है कि वाद संख्या 31/2013 में दिनांक–29.11.2014 को पारित आदेश की सूचना उन्हें दिनांक–10.01.2018 को प्राप्त हुआ है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा द्वारा पारित आदेश एकपक्षीय है। उक्त के आधार पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक–**29.11.2014** को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्त्ता द्वारा प्रश्नगत मौजा में दिनांक–20.08.2023 को 1.859 डी० जमीन का स्वरूप **आवासीय** दर्शाते

WEB COPY NOT OFFICIAL

हुए निबंधित कराया गया है। उसके एक सप्ताह बाद दिनांक–27.08.2013 को उसी खाता, खेसरा एवं दो तरफ एक ही चौहद्दी की भूमि को **एक फसला** के रूप में निबंधित कराया गया है, जो जान–बूझकर राजस्व की क्षति किए जाने का द्योतक है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा ने अवर निबंधक, मशरक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर समुचित विचारोपरांत अपना आदेश पारित किया है, जिसे यथावत रखा जा सकता है।

अपीलकर्त्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुननें, वाद अभिलेख तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि "दस्तावेज संख्या–3658, दिनांक–27.08.2013 के आधार पर प्रश्नगत दस्तावेज को भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 (A) के अधीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा को प्रेषित किया गया है। सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा द्वारा अपीलकर्त्ता को निबंधित डाक के माध्यम से नोटिस करते हुए अपना पक्ष रखे जाने का समुचित अवसर दिया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत किए जाने के कारण राजस्वहित में एक *पक्षीय निर्णय लिया गया है।*"

निम्न न्यायालय के अभिलेख/आदेश के अवलोकन में स्पष्ट रूप से अंकित है कि–

"पक्षकार द्वारा प्रश्नगत केवाला संख्या–3658/2013 में भूमि का श्रेणी एक फसला के आधार पर 36.818 डिसमल जमीन मो0–1,33,000/–एक लाख तेतीस हजार रूपये में निबंधित करा लिया। अवर निबंधक, मशरक द्वारा जॉचोपरांत पाया गया कि उसी पक्षकार (क्रेता) द्वारा दिनांक–20.08.2013 को 1.859 डिसमल जमीन एक ही मौजा, खाता एवं खेसरा जिसकी दो तरफ चौहदी एक ही है, उसे आवासीय श्रेणी में निबंधित करा लिया था। इस प्रकार एक ही जमीन को एक सप्ताह पहले आवासीय श्रेणी में, पुनः कृषि योग्य श्रेणी एक सप्ताह

WEB COPY NOT OFFICIAL

	बाद कराना जान–बूझकर राजस्व क्षति का मामला मानते हुए अवर निबंधक द्वारा प्रश्नगत केवाला संख्या 3658/2013 का बाजार मूल्य 10,94,000/– दस लाख चौरानवे हजार प्रस्तावित करते हुए उस पर कमी मुद्रांक शुल्क की राशि–57,660/– (सनतावन हजार छौ सौ साठ) रूपये की वसुली हेतु उसे मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 ए (1) के अधीन प्रेषित किया गया। अवर निबंधक से प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा की गयी। प्रेषण योग्य विश्वास का कारण पक्षकार (क्रेता) द्वारा दो दस्तावेज निबंधित कराये गये। दिनांक–20.08.2013 को 1.859 डी० जमीन का स्वरूप आवासीय योग्य लिखा गया जबकि एक सप्ताह बाद दिनांक–27.08.2013 को उसी खाता, खेसरा एवं दो तरफ एक ही चौहद्दी की जमीन को जान–बुझकर राजस्व की क्षति कराते हुए एक फसला लिखा गया। नियमावली के अधीन वाद प्रारंभ करते हुए विपक्षी को पक्ष रखने हेतु निबंधित डाक द्वारा दिनांक–12.11.2013, दिनांक–09.04.2014, दिनांक–19. 07.2014, दिनांक–02.09.2014, दिनांक–16.10.2014 तथा दिनांक–13.11.2014 द्वारा नोटिस दिया गया। प्रत्युत्तर में विपक्षी ना ही स्वंय उपस्थित हुए और ना ही किसी प्रतिनिधि के द्वारा कोई साक्ष्य ही उपलब्ध कराया गया। अतः इस वाद में उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्य के आधार पर एक पक्षीय निर्णय लेते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैं। समीक्षोपरांत अवर निबंधक के प्रस्तावित मूल्य से सहमत होकर विलेख का कुल बाजार मूल्य 10,94,000/– (दस लाख चौरानवे हजार) रूपये निर्धारित किया जाता है एवं विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से 60 (साठ) दिनों के अंदर कमी मुद्रांक की राशि–57,660/– (सनतावन हजार छः सौ साठ) रूपया तथा जान–बूझकर राजस्व की क्षति कराने के लिए अर्थदण्ड के रूप में कमी मुद्रांक की राशि का 10% की राशि–5,766/–(पांच हजार सात सौ छियासठ) रूपया चालान द्वारा समुचित शीर्ष में जमा करें।'' इससे स्पष्ट है, कि अपीलकर्त्ता को उक्त वाद में उपस्थित होने हेतु नोटिस के माध्यम से सूचित करते हुए पर्याप्त अवसर दिये गये है। इसलिए	

WEB COPY NOT OFFICIAL

उनका यह दावा मान्य नहीं हो सकता है कि उनको सूचना दिये बगैर आदेश पारित कर दिया गया है। जहां तक अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के दावे का प्रश्न है कि प्रश्नगत भूमि एक फसला श्रेणी की है, के संबंध में निम्न न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट है कि राजस्व चोरी हेतु एक ही भू–खण्डों को दो भाग में बाँटकर वास्तविक श्रेणी छुपाकर निबंधन कराया गया है। साथ ही, अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि भूमि सड़क किनारे है, उसके एक भाग का निबंधन दिनांक–20.08.2013 को दस्तावेज सं०–3541 के द्वारा आवासीय श्रेणी में की गयी है। उसके सात दिन बाद उसी प्लॉट को एक फसला भूमि के रूप में निबंधन कराया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा रखे गये तथ्य से स्पष्ट होता है कि पक्षकार द्वारा जान–बूझकर तथ्य को छुपाया गया है, जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 27–***"The consideration 1[if any,], and all other facts and circumstance affecting the chargeability of any instrument with duty with which it is chargeable, shall be fully and truly set forth therein"*** के अनुकूल नहीं है।

बिहार गजट (असाधारण) 25 जून 1997 के ***S.O.*** 140 दिनांक–25 जून 1997 के द्वारा समाहर्त्ता की शक्ति सहायक निबंधन महानिरीक्षक में निहित है एवं अंकित है कि–***"In exercise of powers conferred by section 2, sub-section 9 (b) of the Indian Stamp Act, 1899 (Act II 1899), The State Government confers the power of Collector to the inspector of Registration Officers exercisable subject to general or special direction of the Secretary, Registration department for the districts of their respective Jurisdiction from the date of notification in official gazette."***

उपर्युक्त के आलोक में यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो का पालन करते हुए मुखर आदेश पारित किया गया है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए उसे **यथावत्** रखा जाता है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

	तदनुसार **प्रस्तुत अपीलवाद को अस्वीकृत** किया जाता है। ***आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।*** **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL